प्रेस नोट
दिनांक 09.07.2025

50,000/– का इनामिया शातिर जालसाल अभियुक्त गिरफ्तार–

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में एस0टी0एफ0 प्रयागराज की टीम द्वारा थाना परसपुर में पंजीकृत मु0अ0सं0–30/25, धारा 420,406,467,468,471,504,506 भादवि से सम्बन्धित 50,000/– रू0 के इनामिया शातिर जालसाल अभियुक्त हरवीर सिंह उर्फ काके पुत्र स्व0 भूपिन्दर सिंह नि0 ग्राम बसारके थाना खालड़ा जिला तरन तारन साहिब पंजाब को पार्वती अस्पताल गेट ए ब्लॉक से गिरफ्तार किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण–

अभियुक्त मदन गुप्ता अपने साथी अभियुक्त चन्दन दीक्षित व हरवीर सिंह उर्फ काके सरदार के साथ मिलकर थाना परसपुर क्षेत्रान्तर्गत आटा दूबेपुरवा के रहने वाले सुनील कुमार द्विवेदी पुत्र ब्रहम प्रकाश द्विवेदी को मौरंग व बालू के खनिज का पट्टा दिलाने के नाम पर उनसे 50 लाख रूपयों की ठगी की गयी थी। वादी सुनील कुमार द्विवेदी की तहरीर पर थाना परसपुर में 03 नामजद अभियुक्तों के विरूद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत हुआ था। पुलिस महानिरीक्षक देवीपाटन परिक्षेत्र गोण्डा द्वारा अभियुक्त हरवीर सिंह उर्फ काके की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हेतु 50,000/–का ईनाम घोषित किया गया था। जिसमें दिनांक 08.07.2025 को एस0टी0एफ0 प्रयागराज की टीम द्वारा 50,000/– रू0 के इनामिया शातिर जालसाल अभियुक्त हरवीर सिंह उर्फ काके पुत्र स्व0 भूपिन्दर सिंह नि0 ग्राम बसारके थाना खालड़ा जिला तरन तारन साहिब पंजाब को पार्वती अस्पताल गेट ए ब्लॉक से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना परसपुर पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त–

01. हरवीर सिंह उर्फ काके पुत्र स्व0 भूपिन्दर सिंह नि0 ग्राम बसारके थाना खालड़ा जिला तरन तारन साहिब पंजाब।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0स0–30/25, धारा 420,406,467,468,471,504,506 भादवि थाना परसपुर जनपद गोण्डा।

गिरफ्तारकर्ता टीम–

01. उ0नि0 गुलजार सिंह एसटीएफ लखनऊ।
02. हेड का0 पंकज तिवारी।
03. हेड का0 रोहित सिंह।
04. हेड का0 अजय कुमार यादव।

मीडिया सेल, गोण्डा।

<u>प्रेस नोट</u>
<u>दिनांक 09.07.2025</u>

<u>थाना नवाबगंज पुलिस की अवैध कच्ची शराब के निष्कर्षण के विरूद्ध बड़ी कार्यवाही, भारी मात्रा में अवैध कच्ची शराब, परिवहन में प्रयोग होने वाली 03 अदद मोटरसाईकिलें व शराब बनाने के उपकरण बरामद–</u>

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अवैध कच्ची शराब के निष्कर्षण, परिवहन व भण्डारन के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी तरबगंज श्री उमेश्वर प्रभात सिंह के नेतृत्व में थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा अवैध कच्ची शराब बनाने के आरोपी अभियुक्त अनिल पुत्र प्रहलाद निवासी ग्राम जैतपुर मांझा, थाना नवाबगंज, जनपद गोण्डा को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 150 लीटर अवैध कच्ची शराब, शराब बनाने के उपकरण व परिवहन में प्रयोग होने वाली 03 अदद मोटरसाईकिलों को बरामद किया गया।

<u>घटना का संक्षिप्त विवरण–</u>
आज दिनांक 09.07.2025 को समय लगभग प्रातः 05:30 बजे उ0नि0 विभव सिंह मय हमराह पुलिस बल के साथ पेण्डिंग विवेचना, तलाश वांछित/वारण्टी व रोकथाम जुर्म जरायम हेतु क्षेत्र में भ्रमणशील थे। दौरान भ्रमण पटपरगंज पुल के पास जरिये मुखबिर खास सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम केवटहिया जैतपुर मांझा के निकट मक्का के खेत के पास कुछ व्यक्ति अवैध रूप से कच्ची शराब का निर्माण कर रहे हैं और उसे बेचने हेतु मोटर साइकिल से ले जाने की तैयारी में हैं। सूचना पर पुलिस बल द्वारा मौके पर पहुंचकर दबिश दी गई, जहाँ से अभियुक्त अनिल पुत्र प्रहलाद निवासी ग्राम जैतपुर मांझा, थाना नवाबगंज, जनपद गोण्डा को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 150 लीटर अवैध कच्ची शराब, शराब बनाने के उपकरण व परिवहन में प्रयोग होने वाली 03 अदद मोटरसाईकिलों को बरामद किया गया।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त–</u>
01. अनिल पुत्र प्रहलाद निवासी ग्राम जैतपुर मांझा, थाना नवाबगंज, जनपद गोण्डा।

<u>पंजीकृत अभियोग–</u>
01. मु0अ0सं0 237/2025 धारा 60, 60(2), 72 आबकारी अधिनियमथाना नवाबगंज, जनपद गोण्डा।

<u>बरामदगी–</u>
01. अवैध कच्ची शराब तीन पिपियों में कुल 150 लीटर

<u>02. शराब बनाने के उपकरण</u>
01 अदद चिम्नी नुमा ड्रम
01 अदद पानी की टंकी
03 अदद जस्ता भदेली
01 अदद पाइप

<u>मोटर साइकिलें (परिवहन में प्रयुक्त)</u>
01. अपाची सफेद रंग (UP42BQ0470)
02. अपाची सफेद रंग (UP43BE1477)
03. साइन नीला रंग (UP43AH2611)

गिरफ्तार कर्ता टीम–

01. उ0नि0 विभव सिंह।
02. हे0का0 योगेन्द्रनाथ यादव।
03. हे0का0 अभिषेक सिंह।
04. हे0का0 सूर्यभान।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 09.07.2025

थाना को0 नगर पुलिस द्वारा जहर खुरानी की घटना कारित करने के 02 आरोपी अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से 01 अदद लैपटॉप, 01 अदद मोबाइल फोन व घटना में प्रयुक्त 01 अदद बोलेरों गाडी बरामद –

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर श्री आनन्द कुमार राय के नेतृत्व में थाना को0 नगर पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0स0–491/2025, धारा 123(2),303(2) बीएनएस से सम्बन्धित 02 वांछित अभियुक्तों–01. सूरज सिंह पुत्र अशोक सिंह, निवासी बैसनपुरवा गुडसड़ा, थाना करनैलगंज, जनपद गोण्डा, 02. मोईन पुत्र मोबीन, निवासी बदलीपुरवा, मौजा भोका, थाना करनैलगंज, जनपद गोण्डा को रोडवेज बस अड्डा गोण्डा से गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 01 अदद लैपटॉप, 01 अदद मोबाइल फोन व घटना में प्रयुक्त 01 अदद बोलेरों गाड़ी बरामद किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 20.06.2025 को हर्षवर्धन सिंह, निवासी शाहडीह मदारा, थाना बलरामपुर देहात, जो वर्तमान में आई0आई0टी0 पटना के छात्र है, पटना से बलरामपुर लौटते समय गोण्डा रोडवेज पर बलरामपुर जाने हेतु एक बुलेरो गाड़ी में सवार हुए थे। गाड़ी सवार व्यक्तियों द्वारा उन्हे चाय में नशीला पदार्थ पिलाकर बेहोश कर दिया गया और उनका मोबाइल एवं लैपटॉप ले लिया गया। पीड़ित को इटियाथोक थाना क्षेत्र के दुल्हापुर पहाड़ी गांव में फेंक दिया गया। होश आने पर पीड़ित द्वारा थाना को0 नगर में तहरीर दी गयी। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना को0 नगर में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत हुआ। आज दिनांक 09.07.2025 को थाना को0 नगर पुलिस द्वारा घटना कारित करने के 02 आरोपी अभियुक्तों–01. सूरज सिंह पुत्र अशोक सिंह, 02. मोईन पुत्र मोबीन को रोडवेज बस अड्डा गोण्डा से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगणों के विरूद्ध थाना को0 नगर पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण–

01. सूरज सिंह पुत्र अशोक सिंह, निवासी बैसनपुरवा गुडसड़ा, थाना करनैलगंज, जनपद गोण्डा।
02. मोईन पुत्र मोबीन, निवासी बदलीपुरवा, मौजा भोका, थाना करनैलगंज, जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0–491/2025, धारा 123(2),303(2),317(2), 3(5) बीएनएस व 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।

बरामदगी–

01. 01 अदद लैपटॉप, 01 चार्जर
02. 01 अदद डाटा केबल,
03. 01 अदद मोबाइल
04. 21 पत्ता अल्प्राजोलम गोली
05. 10 पुड़िया पीसा हुआ नशीला पाउडर
06. घटना में प्रयुक्त वाहन बोलोरो

गिरफ्तार कर्ता टीम–

01. उ0नि0 श्री डिग्री प्रसाद गौतम
02. उ0नि0 श्री शुभम दूबे
03. का0 समरपाल वर्मा
04. कां0 रामनाथ प्रजापति
05. कां0 दिवस हलदार

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 09.07.2025

थाना को0 कर्नलगंज पुलिस द्वारा जानलेवा हमला करने के 02 आरोपी अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार–

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी कर्नलगंज श्री विनय कुमार सिंह के नेतृत्व में थाना को0 कर्नलगंज पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0–248/25 धारा 109(1),115(2),352 बीएनएस से सम्बन्धित 02 वांछित अभियुक्तों– 01. पवन पुत्र मायाराम, 02. राहुल पुत्र मायाराम निवासीगण ग्राम बरबटपुर, थाना कोतवाली करनैलगंज, जनपद गोण्डा को धमसड़ा चौराहे के पास से गिरफ्तार कर उनकी निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त 01 अदद बांका बरामद किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण–

वादी प्रार्थी पुत्तन पुत्र मायाराम निवासी ग्राम बरबटपुर, थाना करनैलगंज, जनपद गोण्डा द्वारा थाना को0 कर्नलगंज में लिखित तहरीर दी गयी कि दिनांक 06.07.2025 को प्रातः लगभग 10:00 बजे वह अपने घर पर सो रहा था। पूर्व में मेरे भाइयों राहुल एवं पवन से आपसी विवाद हुआ था। उसी रंजिश को लेकर दोनों भाई पवन और राहुल घर पर घात लगाकर आए और हाथ में बांका और लाठी लेकर मुझ पर जानलेवा हमला कर दिया। जिससे मेरे सिर व हथेलियों पर गंभीर चोटे आयी है। वादी की तहरीर पर थाना को0 कर्नलगंज में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत हुआ। आज दिनांक 09.07.2025 को थाना को0 कर्नलगंज पुलिस द्वारा घटना कारित करने के 02 आरोपी अभियुक्तों 01. पवन पुत्र मायाराम, 02. राहुल पुत्र मायाराम निवासीगण ग्राम बरबटपुर, थाना कोतवाली करनैलगंज, जनपद गोण्डा को धमसड़ा चौराहे के पास से गिरफ्तार कर उनकी निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त 01 अदद बांका बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगणों के विरूद्ध थाना को0 कर्नलगंज पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण–

01. पवन पुत्र मायाराम, नि0 ग्राम बरबटपुर, थाना कोतवाली करनैलगंज, जनपद गोण्डा।
02. राहुल पुत्र मायाराम नि0 ग्राम बरबटपुर, थाना कोतवाली करनैलगंज, जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0स0–248/25 धारा 109(1),115(2),352 बीएनएस थाना को0 कर्नलगंज जनपद गोण्डा।

गिरफ्तारकर्ता टीम–

01. उ0नि0 सरफराज खां।
02. उ0नि0 सुधीर यादव।
03. हे0का0 सर्वेश प्रसाद।

मीडिया सेल, गोण्डा।